



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 02.04.2024

1.थाना दादरी पुलिस द्वारा गांजा तस्करो के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 गांजा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 10 किलो 150 ग्राम अवैध गांजा बरामदा।

कार्यवाही का विवरण-- लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत थाना दादरी पुलिस द्वारा गांजा तस्करो के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए दिनांक 02.04.2024 को 01 गांजा तस्कर श्याम ठांगे पुत्र विठ्ठल राव ठांगे स्थायी पता शंकर नगर थाना कदीम जालना जिला जालना महाराष्ट्र हाल पता ए/591 गली नं0 04 अमर कालोनी थाना ज्योति नगर दिल्ली उम्र करीब 30 वर्ष को 10 किलो 150 ग्राम गांजा नाजायज के साथ बिरयानी पुल से घोड़ी बछेडा गाँव की ओर जाने वाले रास्ते से किया गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के द्वारा ट्रेन व बस आदि के माध्यम से उड़ीसा राज्य से सस्ते दामो पर गांजा तस्करी कर लाया जाता है तथा नोएडा क्षेत्र में महंगे दामो में बेच कर मुनाफा कमाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. श्याम ठांगे पुत्र विठ्ठल राव ठांगे स्थायी पता शंकर नगर थाना कदीम जालना जिला जालना महाराष्ट्र हाल पता ए/591 गली नं0 04 अमर कालोनी थाना ज्योति नगर दिल्ली उम्र करीब 30 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 0157/2024 धारा 8/20 एनडीपीसी एक्ट थाना दादरी कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 10 किलो 150 ग्राम गांजा नाजायज।

2.थाना बिसरख पुलिस व हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त के साथ हुयी पुलिस मुठभेड के सम्बन्ध में-

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक-02.04.2024 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक पैशन प्रो मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट जिस पर 01 संदिग्ध व्यक्ति सवार था, जिसे चैकिंग के लिए चार मूर्ति के पास पुलिस द्वारा रोका गया तो उक्त मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति मोटरसाइकिल को वापस मोड़कर एटीएस गोल चक्कर की ओर भागने लगा जिसका पीछा करने पर उपरोक्त बदमाश मोटरसाइकिल से उतरकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से अवैध असलाह से फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ हेतु फायर किये गये जिससे बदमाश अतुल पुत्र विनोद निवासी ग्राम मुण्डी बकापुर थाना औरंगाबाद जिला बुलन्दशहर उम्र- 25 वर्ष के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश को इलाज हेतु अस्पताल भिजवाया जा रहा है। घायल बदमाश के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 खोखा कारतूस व 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्त व उसके साथी फाईनेंस की गाडियो की रिकवरी का काम करते है दिनांक 31.03.2024 को अभियुक्त व उसके साथी फाईनेंस की गाडियो की रिकवरी के लिए घूम रहे थे , तो वह लोग शराब खरीदने के लिए नये हैबतपुर के ठेके पर गये लेकिन सेल्समेन ने शराब देने से मना कर दिया। इस पर उन लोगो को गुस्सा आ गया और उन्होंने सेल्समेन को गोली मार दी थी।

उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना बिसरख पर मु0अ0स0-244/24 धारा 302/504 भादवि पंजीकृत है। मुठभेड मे घायल हुए अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध कई मुकदमे दर्ज है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण/ आपराधिक इतिहास--

अतुल पुत्र विनोद निवासी ग्राम मुण्डी बकापुर थाना औरंगाबाद जिला बुलन्दशहर उम्र 25 वर्ष--

1. मु0अ0सं0 – 664/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सैक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 – 284/22 धारा 379 भादवि थाना सैक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0सं0 – 168/22 धारा 379 भादवि थाना सैक्टर 20 नोएडा गौतमबुद्धनगर
4. मु0अ0सं0 – 178/22 धारा 379 भादवि थाना सैक्टर 20 नोएडा गौतमबुद्धनगर
5. मु0अ0सं0 – 199/22 धारा 379 भादवि थाना सैक्टर 20 नोएडा गौतमबुद्धनगर
6. मु0अ0सं0 – 121/22 धारा 379 भादवि थाना सैक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर
7. मु0अ0सं0 – 174/22 धारा 379 भादवि थाना सैक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर
8. मु0अ0सं0 – 246/22 धारा 379 भादवि थाना सैक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर
9. मु0अ0सं0 – 254/22 धारा 379 भादवि थाना सैक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर
10. मु0अ0सं0 – 284/22 धारा 379 भादवि थाना सैक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर
11. मु0अ0सं0 – 345/22 धारा 379/411/413 भादवि थाना सैक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर
12. मु0अ0सं0 – 350/22 धारा 413/414 भादवि थाना सैक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण--

1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 खोखा कारतूस व 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए।